भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 112

(07 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्राम पंचायतों का निधीयन

112. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

श्री आर. गिरिराजन:

श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि ग्राम स्वराज अभियान में सरकार द्वारा निवेश किए जा रहे समय और धन को न्यायोचित ठहराने हेतु ग्राम पंचायतों (जीपी) के कार्यकरण को इष्टतम बनाने के लिए सभी स्तरों पर एक आमूलचूल परिवर्तन किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है , जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागी स्थानीय आयोजना के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण का अधिदेश दिया गया है। मंत्रालय ने एसडीजी (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण के लिए विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें 'संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज ' दृष्टिकोण के साथ केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य के संबंधित विभागों और अन्य हितधारकों के ठोस और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से सभी 17 एसडीजी को एकीकृत किया गया है। इसके आगे , पीआरआई के माध्यम से एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए सहयोगात्मक प्रयास को सुदृढ़ करने के लिए नोडल मंत्रालयों के साथ अंतर-मंत्रालयी परामर्श, राज्यों के साथ क्षेत्रीय कार्यशालाएं और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ परामर्शी बैठकें आयोजित की गई हैं। पंचायती राज मंत्रालय एलएसडीजी को जमीनी स्तर पर आगे ले जाने के लिए राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ लगातार काम कर रहा है ताकि ग्राम पंचायतों (जीपी) के कामकाज का अनुकूलन किया जा सके।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।